

कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं०-सेवा-2/अराज./1765 /2013-2014 दिनांक 3 अक्टूबर, 2013

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा के निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिका स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैंड-2 रु० 9300-34800, ग्रेड पे 4600) को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा चयन संस्तुति के उपरान्त उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग-महिला शाखा) सेवा वेतनक्रम, (वेतन बैंड-2 रु० 9300-34800, ग्रेड पे 4800) में प्रवक्ता-अर्थशास्त्र के पद पर मौलिक पदोन्नति के फलस्वरूप उन्हें उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित विद्यालय में अस्थायी रूप से तैनात/पदस्थापित किया जाता है।

क०सं०	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	वर्तमान तैनाती का विद्यालय	पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	कु० सुशीला	रा०क०उ०मा०वि० रायपुर देहरादून	रा०बा०इ०का० पुरोला उत्तरकाशी	रिक्त पद के प्रति
2	श्रीमती अनिता बहुगुणा	रा०क०उ०मा०वि० रायपुर देहरादून	रा०बा०इ०का० इकबालपुर हरिद्वार	रिक्त पद के प्रति
3	श्रीमती नसीम आसफी	रा०क०उ०मा०वि० गांधीनगर नैनीताल	रा०बा०इ०का० नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
4	श्रीमती मधु श्रीवास्तव	रा०क०इ०का० देवप्रयाग टिहरी	रा०बा०इ०का० मंगलौर हरिद्वार	रिक्त पद के प्रति
5	श्रीमती मंजुला शर्मा	रा०क०इ०का० बनभूलपुरा नैनीताल	रा०क०इ०का० बनभूलपुरा नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
6	कु० पुष्पा थापा	रा०क०इ०का० ऐंचोली पिथौरागढ़	रा०बा०इ०का० धारचूला पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
7	श्रीमती उमा नौटियाल	रा०क०उ०मा०वि० हरवाला देहरादून	रा०बा०इ०का० नारायणबगड चमोली	रिक्त पद के प्रति
8	श्रीमती आशा पन्त	रा०क०इ०का० राजपुर, देहरादून	रा०बा०इ०का० ऐंठाण बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति
9	श्रीमती प्रेमा बिष्ट	रा०क०इ०का० कालादुंगी नैनीताल	रा०बा०इ०का० खेतीखान चम्पावत	रिक्त पद के प्रति
10	श्रीमती रेनू त्रिपाठी	रा०क०इ०का० भीमताल नैनीताल	रा०बा०इ०का० नमजला पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
11	कु० नलिनी गुसाई	रा०क०इ०का० दुगडडा, पौड़ी	रा०बा०इ०का० लैन्सडाउन पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
12	श्रीमती मुक्ता नेगी	रा०क०उ०मा०वि० सहसपुर देहरादून	रा०बा०इ०का० कलालघाटी पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
13	डॉ० गीता कपरुवाण	रा०क०इ०का० श्रीनगर पौड़ी	रा०क०इ०का० श्रीनगर पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
14	डा० मंजू जोशी	रा०क०उ०मा०वि० जलना, अल्मोड़ा	रा०बा०इ०का० ताड़ीखेत अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
15	श्रीमती बीना उनियाल	रा०उ०मा०वि० चन्द्रापुरी हरिद्वार	रा०बा०इ०का० रुड़की हरिद्वार	रिक्त पद के प्रति
16	श्रीमती अनूजा साह	रा०क०उ०मा०वि० एन०टी०डी०, अल्मोड़ा	रा०बा०इ०का० बाड़ेछीना अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति

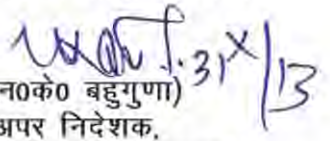
(Handwritten Signature)

17	श्रीमती निरंजना पन्त	रा0क0इ0का0 पन्तनगर उ0सि0न0	रा0क0इ0का0 खटीमा उ0सि0न0	रिक्त पद के प्रति
18	श्रीमती मीरा जोशी	रा0क0इ0का0 द्वाराहाट अल्मोड़ा	रा0बा0इ0का0 भिक्यासैण अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
19	श्रीमती किरण पुनेरा	रा0क0इ0का0 खुर्पाताल, नैनीताल	रा0बा0इ0का0 काकड़ चम्पावत	रिक्त पद के प्रति

2. पदोन्नति आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के भीतर पदोन्नत शिक्षक/शिक्षिकाओं को पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं का अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली, 2013 के नियम-9(2) के तहत अगले तीन वर्षों तक उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण के उपरान्त उक्त शिक्षकों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

4. उक्त पदोन्नतियां मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका सं0 1486/एस0एस0/ 2013 जीवन सिंह धामी व 17 अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका सं0 1487/एस0एस0/2013 लक्ष्मण सिंह खाती व 11 अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय के अधीन रहेंगी।


(एन0के0 बहुगुणा)
अपर निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0 सं0 सेवा-2/अराज0/60950-61053/2013-2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- (2) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
- (3) निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
- (5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- (6) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद।
- (8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित अवधि में कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की संकलित सूचना निदेशालय को एक माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
- (10) सम्बन्धित प्रधानाचार्य, को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के सेवा अभिलेखों से निम्नांकित अभिलेखों की पुष्टि होने पर ही पदोन्नत शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही सुनिश्चित कर निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें-
- (क) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका जिस विषय में प्रवक्ता पद पर पदोन्नत हुए हैं, उस विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हैं।
- (ख) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश पर कार्यरत नहीं हैं। वर्तमान पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/पदोन्नत हों तथा पाँच वर्ष की नियमित तथा सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हों।
- (ग) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही न तो प्रस्तावित है और न ही गतिमान है।
- (घ) संबंधित अध्यापक/अध्यापिका, जिस संवर्ग (सामान्य/महिला) में पदोन्नत हुए हैं, वह मूल रूप में उसी संवर्ग में नियुक्त भी हुए हैं। कोई अध्यापक/अध्यापिका जिस संवर्ग (सामान्य/महिला) में नियुक्त हुए हैं तथा उनकी पदोन्नति भिन्न संवर्ग में हुई है, उन्हें किसी भी दशा में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराया।
- (च) प्रवक्ता हिन्दी के पद पर पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिका संस्कृत विषय से स्नातक उपाधि धारक है।



- (छ) इस पदोन्नति आदेश में संबंधित अध्यापक/अध्यापिका के नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती विद्यालय में स्थानान्तरण या अन्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में स्तम्भ-3 में अंकित विद्यालय से या संबंधित शिक्षक की सेवा पुस्तिका से अध्यापक के संबंध में पुष्टि करने के उपरान्त संबंधित अध्यापक को कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराये।
- (ज) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के सेवा अभिलेखों में कोई भिन्नता परिलक्षित होती हो, तो ऐसी स्थिति में संबंधित शिक्षक को कार्यभार से मुक्त न करें तथा इसकी सूचना अनिवार्य रूप से निदेशालय को पंजीकृत पत्र से प्रेषित करने का कष्ट करें।
कृपया उक्त बिन्दुओं पर भली-भांति जांच करने के पश्चात् ही संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराये अन्यथा की स्थिति में संबंधित संस्थाध्यक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (11) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नति के फलस्वरूप दी गयी तैनाती वाले विद्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, तदोपरान्त किसी प्रकार की समयवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
- (12) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

Waf.

 31/10/2013
(P00010 बलोदी)

उप निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।